REGISTERED No. D. (D.N.)-72

111



असाधारए। EXTRAORDINARY

भाग II-लण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451] नई विस्ली, मंगलवार, नजम्बर 22, 1983/अग्रहायण 1, 1905 No. 451] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 1983/AGRAHAYANA 1, 1905

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा ज' सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate

compilation

गह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1983

सा० का० नि० 857 (अ) : — केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख की गुजरात राज्य मे यथा प्रवृत्त मुम्बई भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1942 का निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए दावरा और नागर हवेली मंघ राज्य क्षेत्न पर विस्नार करती है, अर्थान्: —

- (क) जब तक कि अन्यथा उपान्तरण निदेशित न किया जाए, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशा-मक" शब्द रखा जाएगा और ऐसे, किसी वाक्याश में जिसमें "राज्य सरकार" शब्द आते है, एसे पारिणासिक परिवर्तन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमानुसार अपेक्षित हों।
- (ख) "प्रभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी" णड्दो के स्थान पर जहा जहां वे आते हैं, "भूमि संरक्षण अधिकारी" णब्द रखे जाएंगे।

- (ग) ''जिला कृपि अधिकारी'' णब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, ''क्रूषि अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।
- (घ) "एकड़" शब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है. "हैस्टेयर" शब्द रखा जाएगा।
- (ड.) निम्नीनखित गर्क्यों का जहां-जहां वे आते हैं लोप किया जाएगा
 - (1) "कम्पनी"
 - (2) "या, कम्पनी"
 - (3) "या, कम्पनी अधिकारी"
 - (.1) या यथास्थिति कम्पनी''
 - (5) या, यथास्थिति, कम्पनी अधिकारी"।
 - (6) "या. ययास्थिति कम्पनी को",

2---धारा 1 में,---

(1) उपधारा (2) में "गुजरात राज्य" गब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हुवेली संध राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे,

(2) उपधारा (3) के परन्तुक का लोप किया आएगा।

1171 GI/8--1

(1)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-St.C. 3(i)]

3---धारा 2 में,---

 खण्ड (1) और खण्ड (1क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: ---

> "(1) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभि-प्रेत है,"

> (1क) "बोर्ड" से घारा 3 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है,

> (1कक) "कलक्टर" से दावरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का कलक्टर अभिप्रेत है,

- (2) खण्ड (1ख) और (1ग) का लोप किया जाएगा।
- (3) खण्ड (2ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: ---
 - "(2ग) "निष्पादित अधिकारी" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और उसका तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा मानो स्कीम केन्द्रीय सरकार के व्यय पर निष्पादित की जानी है।"
 - (4) खण्ड (5क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: ---

''(5क) विनियम से दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रशासन विनियम, 1971 अभि-प्रेत है;

- (5) खण्ड (5ख) (7क) और (7ख) का लोप किया जाएगा;
- (6) खण्ड (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्: ---

(8) उन शब्दों और पद के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है बही अर्थ होंगे जो उनके उस विनियम में है।

4. धारा 3 की उपधारा (1) में "प्रत्येक जिले मे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. धारा 5 मे,---

- (1) उपधारा (1) में "या कम्पनी ढारा नियुक्त अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा,
- (2) उपधारा (2) में "तालुका, तहसील या महल के और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. धारा 9 मे,---

(1) उपघारा (1) के परन्तुक में "सरकार" प्राब्द के स्थान पर जहां-जहां वह आता है, "केन्द्रीय मर-कार" रब्ध रखे जाएंगे (2) उपधारा (2) में, "तालुका तहसील या महल और" शब्दों का लोप किया जाएगा।

7. धारा 11 की उपधारा (2), (3) और (6) में 'सरकार'' शब्द के स्थान पर जहा जहां वह आता है, 'केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे ।

8 धारा 12 की उपधारा (1) में,---

- (1) "सरकार" शब्द के स्थान पर जहां जहा वह आता है, "केन्द्रीय सरकार" णब्द रखे जाएंगे।
- (2) दूसरी बार आने वाले "राज्य सरकार" शब्दो के म्थान पर "केन्द्रीय सरकार" णब्द रखे जागंगे।
- (3) दितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

9. धारा 13 की उपधारा (1) मे, "मुम्बई भूमि मुधार स्कीम विस्तारण और संशोधन) अधिनियम, 1958 के स्थान पर "यह अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 15 में "संहिता" शब्द के स्थान पर "विनि-यम" शब्द रखा जाएगा।

11. धारा 15क का स्रोप किया जाएगा।

12 धारा 17 में---

- (1) उपधारा (1) में ''संहिता'' णठद के स्थान पर ''विनियम'' णठ्द रखे जाएंगे और
- (2) उपधारा (2) में सुसगत भू-राजस्व अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "विनियम" शब्द रखा जाणगा।

13. धारा 21 में ''वह या'' णब्दो का जहा जहा वे आते है, लोप किया जाएगा।

14. धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (1) मे "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्ग्रीय सरकार" शब्द रखे जाएगे।

15. धारा 25 में ''तालुदः'' तहसील या महल के ''गब्दों का लोप किया जाएगा।

16. धारा 26 और 26क का लोप किया जाएगा।

17. धारा 27, 28, 28क और 29 का लोप किया जाएगा।

> [स॰ यू-11015/5/83-यू०री०एल] आर॰ वी॰ पिल्लै, संयुक्त सचित्र

[भाग II--खड :(i)]

3

उपाबंध

दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर यथा-विस्तारित मुम्बई भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1942 (1942 का मुम्बई अधिनियम सं० 28) जैमा कि वह गुजरात राज्य पर विस्तारित किया गया है।

टैका तटवंधों और अन्य सक्रमों के निर्माण. भूमि सरक्षण के प्रयोजन, चराई का प्रतिपेध और नियंवण, मिट्टी के कटाव की रात्थाम, जा आपूर्शि में सुधार ओर एमे ही अन्य विषयों के संबध में स्कॉमें बनाने और उनका निष्पादन करने के लिंग उभवंध करने के लिंग जिनमें कि मुम्बई प्रान्त में भूमियों और हमलों को रक्षा और उनमें सुधार हो सके और प्रान्न के राजस्व पर कतिगय व्यथ प्राधारित करन के लिंग अधिनियम ।

टैका तटबंधो और अन्य सक्रमों के निर्माण, भनि सरक्षण के पयोजन, चराई का प्रतिदेध और निवंत्रण, सिट्टो के कटाव की रोक्याम, जल आपूर्ति में मुदार और ऐमे ही ग्रन्य विषयों के मंबंध में स्कीमें बनाने और उनका तिष्पादन करने के लिए जिससे कि मुम्बई प्रान्त में भूमियो और फनलो हो रक्षा और उनमें सुधार हो राक और प्रान्त के राजस्व पर कतिपय व्यय प्रभारित करने के लिए उपबध करना समीर्चान है;

आंग मुम्बई के गवर्तर ते गयतंमेट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 को धारा 93 के अधीत अपने द्वारा जारी की गई तारील्व, 4 नवम्बर, 1939 की उद्घोषणा के अधीन वे सब णक्तियां अपने हाथ में लेली जा प्रान्तीय विधान मंडल मे उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित है,

अन अब, मुम्बई का गवर्तर, उक्त शक्तिया का प्रयाग करते हुए, निर्म्नालखित अधिनियम बनात। है :---

अध्याय-1

प्रारम्भि**क**

। (1) सॉक्षप्त नाम, विस्तार ऑर प्रारभ :----इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम भूमि मुद्दार स्कोम अधिनियम, 1942 है।

(2) यह सपूर्ण दादरा थीर नागर हवेलो सघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित होगा ।

(3) यह उस क्षेत्र में आंर ऐसी तारीख को प्रवृत्त हागा जो प्रशासक ढारा, राजपत्र में अधिसूचना ढारा, निदिष्ट का जत्म

2 परिभाषाए ---- इस अधिनियम म, जब तक निः विषय य. सदर्भ से काई बात असंगत न हो,

(1) "प्रणासक" में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छद 239 के अबोन नियुक्त किया गया दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रणासक अभिप्रेत है;

- (1क) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड अभि-प्रेत है;
- (1नक्क) "कलक्टर" से दादरा और नागर हवेली का कलक्टर अभिग्रेन है;
- (2) "कृषि निदेणक" मे तत्ममय कृषि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गुगा अधिकारी अभिन्नेत है और इसके प्रंतर्गत वह अधिकारी भी है जो प्रशासक द्वारा इय अधिनियम के अधीन कृषि निदेशक के कर्त्तेय्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है;
- (2क) "भूमि संरक्षण अधिकारों" से त्यमय भूमि संरक्षग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी अग्नितेत है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारों भी है जिस प्रणासक द्वारा उस अधिनिधम के अधीन भूमि संरक्षण अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का त्वर्बहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है;
- (2ख) "कृषि अधिकारी" से तत्ममय कृषि अधिकारी के रूप में निपुक्त किथा गया कोई अधिकारी अभि-प्रेत है
- (2ग) "कार्यपालक अधिकारी" में धारा 11 की उपधारा (1) के अर्धान वार्ड ढ़ारा नियुक्त किया गया काई अधिकारी अभिप्रेत है और इसका अर्थ इस बात के अनुसार लगाथा जाएगा कि क्या स्कीमें केन्द्रीय सरकार के व्यय पर निष्पादित की जाती है;
- (3) "जाच अधिकारी" स बोर्ड ढारा इस रूप में नियुक्त किया गया काई अधिकारी अभिप्रेत है-
- (4) "स्वामी" के अंतर्गत पृथकतया, सामान्यतया य संयुक्तत स्वामी, कब्जाधारी, भूमि घृतघारक, पट्टेदार, किराएदार और कब्जाधारी बाधकद.र भो हे तथा "स्वामित्व रखने वाला और "स्वामित्व म होना" पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे,
- (5) "विहित" से इस अधिनिक्षम के अधीन बनाए गए नियमों ढारा विहित अभिन्नेत है;
- (6) "बिनियम" से दादरा और नागर हवेली भू-राजस्व प्रणासन विनिथम, 1971 अभिप्रेत है;
- (7) "स्कीम" से इन अधिनियम के अधीन तैयार की गई भूमि सुधार स्कीम अभिप्रेत है
- (8) इस अधिनिथम में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं है वही अर्थ है जो उनके जिनियम में है

अध्याय-2

बोर्डों का गठन और भूमि-9ुधार स्कीमा की तैयारी

3. बोडों का गठन ---(1) प्रशासक एक बोर्ड गठिन करेगा निसमें कलक्टर, इत्ति अधिकारी, भूमि संरक्षण अधि-कारो और ऐमे दो से अनंधक गैंग् सरकारी व्यक्ति होगे जो प्रशाकिद्वारा नियुक्त हिए जाएं।

(1क) भूमि संरक्षण अधिकारी बोर्ड का सचिव होगा

(2) यदि बोर्ड के सदध्यों के बीच इम अधिनियम के उगबंधों के अबीन किनो प्रश्न को वाबत काई मतमेद है तो मदस्यों के बहात का वितित्वन मंता ज एगा।

4. बोर्ड को भूसि सुधा रूकी तैया करने और उन विषयों को वाबत निवेश देने की शक्ति जिनके निए स्कीम तैनार को जा सकेंगी →-(1) वार्ड अपन अजिकारित के भोतर किसो क्षेत्र के लिए भूमि सुप्रार स्कीम नैयार तरने का निदेण दे पकना है; स्कोम में निम्नोनखित किसी भी विषय के निए उपत्रंध किया जा सहता है, अर्थात् ---

- (i) भूमि संरक्षण और सुधार.
- (ii) मिट्टी के कटाव ही रोकथाम
- (iii) जल आपूर्ति में सुदार जिसके अंतर्गत कुओं और ग्रन्थ भू-गन जल स्रोतों हा विक्रिमीण और मुधार तथा उन स्रोतों का उपयोग भी है,
- (iiiक) स्कोभ में विनिधिंग्ट भिए जने वल्ते सिचाई त्रोद के अधिक उपयोगों प्रयोग के लिए भूमि का विकास
 - (iv) मुब्द खेर्न पद्धाः यो का प्रारम्स
 - (V) खेती को पद्धतियों का गिकास,
 - (vi) जल अवरूढ भूति का सागर में से भूमि का उढार
 - (vii) च :ाई का प्रतिपेग या नियलण
 - (viii) यू जों के विकाः का ियंत्रण प्रोर रख-रखात्र
 - (viii क) वनस्पति सपदा को घलाने का वित्नियमन आ प्रतिषेध;
 - (viii ख) बंजर भूमि या परती भूमि में खेती,
 - (viiiग) हरियालो या किसी जन्य प्रकरकी खर पतवार या वनस्पति का उन्मू तन जो खेती पर घानक प्रभःव डाज सकती है या उनमे ब्थवधान कर सकती है--
 - (ix) ऐसे अन्य विषः जाइत अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत नहीं है और रिहित किए जाए।

(2) बोर्ड द्वारा ऐसा निदेश जारी किए जाने पर, बोर्ड, ऐसे निदेशों के अनुसार जैसे कि वह जारी करे.स्तीम का प्रारूप तैयःर करने के लिए, जिसमें निम्नलिखिन विशिष्टियां होगी, एक अधिकारी नियुक्त करेगा, अर्थातः---

- (i) स्कोम का उन्नेक्य,
- (ii) स्कीम में सम्मिलित की जाने वाली भूमि का अन्मानित क्षेत;
- (iii) स्कीम के अर्धान कार्यास्थित किया, जाने वाला मंहर्म या मंकर्म, की प्रक्रुति,
- (iv) वह या वे अधिकरण जिसके या जिनके माध्यम मे संकर्भकार्यान्वित किया जाएगा,
- (v) ऐ गे अन्य विशिष्टिया. जो विहिन की जाए,

3. धार 4 के अधीन तैयार की गई स्कीम का प्रारूप बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और बार्ड या तो उस स्कीम का किसी उपांतरण सहित 1. उस तविन हो अनुमोदन करेगा या उसे अस्वीकार करेगा और रादिबोर्ड स्कीम का अनुमोदन करना है तो वह एक जाच अधिकारी नियुक्त करेगा 1

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीम राजपत्न में और उस गांव में तथा उस जिले के मुख्या-लय में, जिसमें स्कीम सम्मिलित की जाने के लिए प्रस्थापित भूमि अवस्थिा है, प्रकाणिन की जाएगी।

(3) बोर्ड किसी ग्राम में उपधारा (2) के अधीन स्कीम प्रकाशित क'ते के पाथ-स थ स्कीम से प्रभावित ऐसे सब व्यक्तियों में जा रकीम था उनके किसो भाग के बारे में कोई अक्षेप करने की बौछा करते है, अपने आक्षेप ऐसे प्रकाशत से सत दिन के भोतर, लिखित में, जाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने था उसके समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा करेगा।

6. जाच अधिकारी की रिपॉर्ट :---(1) जाच अधिकारी लेसे अ क्षेपो की सुरावाई करेगा जो उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप में किए जाते है और धारा 5 के अधोन सम्यक रूप से प्रस्तुत किए गए सब आक्षेपो पर विचार करेगा तथा आक्षेपो महित अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(2) जाव अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन अपनी रिपंट प्रस्तुत करते लमय, ऐस किन्ही उपांतरणों की सिफारिश करेगा जो उसकी र.य में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन बोईंद्वारा अनुसोदित की गई स्कींस में सम्मिलिन विशिष्टियों मे से किसी में अपेक्षित है।

7. विवल्दग्रस्त दलों का विनिण्चय '--(1948 के मुम्बई अधिनियम सं० 29 की धारा 2 के माथ पठित, 1946 के मुम्बई अधिनियम सं० 7 की धारा 6 द्वारा निग्मित)

8. अधिकारी की रिपोर्ट :--- (1948 के मुम्बई अधि-नियम स॰ 29 की धारा 2 के स'य पठित, 1945 के मुम्बई अधिनियम सं॰ 7 की धारा 6 द्वारा निरमित)

[भाग II- - नांब 3(i)]

9. स्कीम का उपतिरणों सहित या उनके विना अनुमोदन करने की बोर्ड की शक्ति :---(1)धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुन की गई रिपॉर्ट और आक्षेपों पर, तथा किसी और आक्षेप और रिपॉर्ट पर जो बोर्ड, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुन किए जाने की अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात बोर्ड स्कीम को उपांतरणों सहित या उनके विना मंजूर कर सकता है या उसे अस्वोकार कर सकना है

परेन्तु यदि स्कीम मे सम्मिलित भूमि के केन्द्रीय सरकार में भिन्न, स्वामियों की कुल संख्या में से 49 प्रतिशत से अन्यून या केन्द्रीय सरकार से भिन्न ऐसे स्वामियों द्वारा जो स्कीम में सम्मिलित भूमि के कुल मिलाकर 49 प्रतिशत से अन्यून भूमि के स्वामी है, स्कीम या उसके किसी भाग के बारे में कोई आक्षेप किए जाते हैं, तो बोर्ड स्कीम को प्रशासक को उसके आदेणों के लिए प्रस्तुत करेगा। तडुपरि, प्रणासक या तो स्कीम को उपांतरणों सहित या उनके बिना मंजूर कर सकता है या उसे अख्वीकार कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई स्कीम राजपत में, और उस ग्राम में तथा उस जिने के मुख्यालय में जिसमें स्कीम में सम्मिलित की गई भूमियां अवस्थित हैं, प्रकाशित करेगा और वह स्कीम इस प्रकार प्रकाशित किए जाने पर अंतिम होगो ।

10. स्कीम का प्रभाव :---स्कीम उस विन से प्रवृत्त होगी जिस दिन वह धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम में प्रकाणित की जाती है और इस प्रकार से प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम केरूप में अधिनियमित की गई थीं।

10क विनियम बनाने की प्रशासक या बोर्ड की शक्ति:---जाधारा 10 के अधीन प्रवृत्त की गई स्कीम के उद्देष्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन केलिए:---

(क) प्रशासक, या

(ख) बोडं, प्रशासक के परामर्श स स्कीम के अनुपूरक और आनुपंगी किन्हीं विषयों की बाबत किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से या जनसाधारण से सामन्यतया कोई कार्यवाही करने की या कतिपय कार्यों को करने से निवारित रहने की अपेक्षा करने के लिए विनियम बना सकता है।

अध्याय-11

स्कीम का निष्पादन

11. स्कीम को प्रवर्तित करने की शक्ति :--- (1) धारा 10 के अधीन किसी स्कीम के प्रवृत्त होने के पश्चास, बोर्थ उसके निष्पादन के लिए एक अधिक(री नियुक्त करेगा।

(2) स्कीम में सम्मिलित भूमि का प्रत्येक स्वामी उन सकर्मों के खर्च यः उनके भाग, जो स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस स्वामी की भूमि में स्वामी के खर्च या भागत खर्च पर कार्याविन किए जाने है, सदत्त करेगा (3) यदि स्कीम में सम्मिलित भूमि का कोई स्वामी एमें किसी संकर्म को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके खर्च या भागतः खर्चे पर उसकी भूमि पर कार्यान्वित किए जाने हैं, स्ययं कार्यान्वित करने की बांछा करता है तो वह इस आणय की लिखित सूचना स्कीम के घारा 9 के अधीन गांव में प्रकाणन में सात दिन के भीतर कार्यपालक अधि-कारी को देगा।

(4) कार्यपालिक अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्वामी को उन संकर्मों की जानकारी देगा जो उसकी भूमि पर कार्यान्वित किए जाने हैं और वह तारीख नियत करेगा जिस तक स्वामी को उन सकर्मों को कार्यान्वित करना होगा।

(5) यदि ऐसा स्वामी कार्यपालक अधिकारी के समाधान-प्रद रूप में, उक्त अधिकारी द्वारा नियम की गई तारीख से पूर्व, किसी सकर्म को कार्यान्वित करने में असफल रहता है या किसी भी ममय कार्यपालक अधिकारी को लिखित में ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो कार्य पालक अधिकारी उस संकर्म को स्वयं कार्यान्वित करा सकता है और उस प्रयोजन के लिए कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपगत व्यय स्वामी से बमूल किए जाएंगे।

(6) यदि स्कीम में सम्मिलित किसी भूमि का स्वामी केन्द्रीय सरकार है तो केन्द्रीय सरकार का वह विभाग जिसका ऐसी भूमि पर नियंत्रण है या जिसके हाथ में उसका प्रबंध है, अथवा कार्यपालक अधिकारी जिसे बोर्ड या प्रणासक इस निमित्त निर्विष्ट करे, उन संकर्मों को कार्यान्वित करेगा जिन्हे स्कीम के अधीन कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार दायी है।

12. स्कोम मं भम्मिलित न की गई भूमियों के स्वामियों का अभिदाय करने का दायित्व :- - (1) यदि स्कीम के अधीन कार्यान्वित किए गए किसी संकर्म के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार भी है क्विन्तु उस भूमि के स्वामी से भिन्न व्यक्ति जिसकी भूमि में कार्य किया जाता है, उसमे लाभान्वित हो मकता है तो वह व्यक्ति, यदि संकर्म स्वामी ढारा कार्यान्वित किया गया है तो भूमि के स्वामी को और यदि संकर्म कार्यपालक अधिकारी ढारा कार्यान्वित किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को अभिदान के रूप में उतनी रकम का सदाय करेगा जो प्रणासक ढारा अवधारित की जाए :

परन्तु प्रणासक. केन्द्रीय सरकार की भूमि में कार्यान्वित किए गए किसी संकर्म की बाबत ऐसे संपूर्ण अभिदाय या उसके भाग के संदाय को मारु कर सकता है।

(2) रकम उतने समय के भीतर सदत्त की जाएगी जो प्रशासक धारा विनिदिप्ट की जाए।

12क-णास्ति :- वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन प्रवृत्त की गई किसी स्कीम या धारा 10क के अधीन बनाए गए किन्ही विनियमों के उपबंधों में मे किमी का उल्लंघन करता

[PART II-SEC. 3(1)]

है या कराता है या कोई ऐसा कार्य करना है जो स्कोभ के अधीन कार्यान्वित किए गए किसो सकर्म को तुक्ताल पहुच ता है, या धारा 13 या धारा 13के या धारा 25 की उत्रधारा (4) या धारा 25क के अधीत उस पर अगिरोपिन किसी दायित्व को पूरा करने मे अपकल रहना है तो वह दण्टा-दिष्ट किए जाने पर, जुर्माने से, जो पचाम घपए तक हा सकेगा, या साधारण कारावास से, जो एक माल तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अध्याय-4

स्कीम के अधीन कार्यान्वित शिए गए सकमों का रख रखाब, मरम्मत और अयोग

1.5. विवरणी • (1) इस अधितियम क प्रारम्भ होने के पूर्व किसी स्कीम के अधीत पूर्ण रूप से कार्यात्वित हिए गए किसी सकम की दणा में कार्यपालक अधिकारों एक विवरगी तैयार करेगा जिसमें किसी विशिद्रिष्ट क्षेत्र की वाबन तिम्त-लिखित विशिष्टया रहेगी. ---

- (क) (1) पूरा किया गया सकर्म,
- (2) उसका खर्च,
- (3) स्त्र मियां म वसूल की जाने वाली कुल रकम
- (J) प्रति हैक्टेंगर या निर्धारण पर प्रति वर्ष प्रति रुपया सं। धारण दर जिस पर ऐसी रुरुष स्वामी गे वसूल की जानी है,
- (5) वह अवधि जिसक भीतर ऐसी रक्षम वसूल की जानी है।
- (6) वह मकर्म जिसका रख-रखाव मरम्प्रत उलकी राय मे अलग-अलग या मयुक्तत. किया जाएगा और एमे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम।

(ख) यदि किसी सर्वेक्षण सख्याक या सर्वेक्षण सख्याक के उप-खण्ड की दशा में उसका स्वामी उस पर स्थित सकनं वि रख-रखाव यो मरम्मन करने के निग् उत्तरदायों नहीं है या यदि खर्च स्वामी से ऐसी दर पर वभून किंग, जाना है जो साधारण दर म भिन्न है ता ऐने सर्वेक्षण सख्याक या उनके उपखण्डों की सूची और वह दर जिस पर खर्च ऐसे सर्वेक्षण सख्याक या उपखण्ड के स्वामी से वसून किंग जाना है

(ग) एक नक्शा जिसमे गात में कार्यान्वित फिना गने। मंकर्म दिखाया गया हो,

(घ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाए,

(2) जब इस धार के अधीन निवरगो ने गर का जाए तब उसमे दर्णाए गए काई अधिकार और दायित्व स्वामित्व के अभिलेख से प्रतिष्ट किंग ज एगा थ, जहा कोई मब मिता अभिलेख नहीं है वहा विहिन किए गए ग्राम अभिनेख में और ग्राम लेखा में ऐसी रोति से प्रविष्ट किंगा जाएगा जसी प्रणासक विहित करे और तदुपरि वह स्वामिल्व अभिनेख क या ऐसे ग्राम अभिलेख का और ग्राम लेखा का भाग होगा।

13क क' पंपालक अधिकारी ढारा वसूली विवरणियो का नैयार किया जाना और स्वामित्व अमिलेख आदि में को जाने वाली प्रविष्टिया.-- (1) धारा 13 में जैसा उपबंधित है उसके सियाय, कार्यपालक अधिकारी कार्यान्वित किए जाने वाले किगी सकम के किसी भाग के पूरा हो जाने पर एक अंतरिम विवरणी तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित वितिर्दिश्ट किए जाएंगे ---

- (1) संकर्म का कार्यान्वित किया गया भाग,
- (2) कार्यपालक अधिकारो ढारा रबे जाने वाले सकमं रजिज्टर मे यथाअजिनिखित संकर्म खर्च के आधार पर स्पणित ऐसे भाग का खर्च.
- (3) इस प्रकार में कार्यान्वित किंग गा सकर्म के सबध में स्वामी में वसूल को जाने वाली अवरिस रकम
- (4) वह् अर्वाध जिसके भोतर ऐसा रक्तम बसूल को जानी है,
- (5) प्रति हैक्टेयर या निर्धारण के प्रति न्नए प्रति वर्य वह साधारण दर जिस पर ऐसी रकम स्वामियो से वभून की जानी है,
- (७) यदि किमो सर्वेझग मध्यारु या सर्वेआग स७यात्र के उगखण्ड को दगा में खण्ड (3) के अधीन बसूल को जान बाली रकन साधारण दर से भिन्न किमी दर पर बसून को जानी है नो ऐसी दर;
- (7) उन व्यक्तियों के नाम जिनसे ऐसी रक्षम वसूल की जानी है,
- (४) ऐसी अन्य विणिध्टिया जा विहिन की जाए ।

(2) ऐसी स्कीम क अधोन महनं क पूर्गकोग कार्या-न्वित हो जोने के पण्चान कार्यपालक अधिकारी----

(क) एक अतिम विवरगी नैयार करेगा जिपमे निम्न लिखित विनिदिष्ट होगे ---

- (1) कार्यान्विन किया गया सकर्म,
- (2) सगूर्ण मकर्म का कुल खर्च,
- (3) कुल खर्च में से अत्तरिम रुक्त का, जैसी अत्तरिम विवरणी में दिखाई गई है घटाने के प्रत्व त् अतिशेष, व्याज की दर और वह रुक्तम जो ऐसी दर पर वसूत्र को जानो हो और इत्तरे अत्रुपंगी विषय,
- (।) ऐसे अतिगोप के सबत मे, रवामिया से खर्व या खर्च के भाग के रूप में वयून को जाने प्रोतो अतिगोप रुग्रम.
- (5) वह अवधि जिसके भोगर ऐगो रहम बपूल को जानी है,

[भाग II--- खंड 3 (i)]

- (6) उन व्यक्तियों के नाम जिनमे ऐमो रक्तम वयून की जानों है,
- (7) निर्धारण के प्रति रुपए प्रति वर्ष, साधारण दर जिस पर खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट रकम वसूल की जानी चाहिए;
- (8) यदि किमी सर्वेक्षण संख्याक पा पर्वेक्षण सख्याक के उपखण्ड की दशा में उपके स्वामी से वपूल को जाने वाली रकम साधारण दर से भिल्त किसी दर पर वपूल की जानी है तो ऐसी दर और ऐसी सब सर्वेक्षण संख्याको या उपखण्डों की भुची;
- (9) वह संकर्म जिसका रख रखाव और मरम्मत उसकी राथ में, अलग-अवा या सत्र तवत किना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के नाम,
- (10) ऐसी अन्य विशिष्ट्या जो विहित को जाएं।

(ख) एक नक्शा जिसमें गांव में कार्यान्वित किशा गया संकर्म दर्शाशा गया हो ।

(2) अन्तरम विवरणी और अतिम विवरणी में दर्णाण गए अधिकार और दायित्व, स्यामित्व अभिलेख में प्रविध्ट किए जाएंगे या जहां काई स्वामित्व अभिलेख नही है वह विहित ग्राम अभिलेख में और ग्राम तेवा में ऐसर रोति में प्रविग्ट किए जाएगे जो धणासक विहित करे और तर्रार वे ऐसे स्वामित्व अभिनेख या ग्राम अभिनेव था ग्राम लेखा के भाग होगे।

14 सकमो का रग्ना रखाव और मरम्मन करने की ध्यक्तियों की बाध्नन --- (1) धारा 13 र भारा 13इ के अधीन तैयार की गई विवरणी में दर्शाया गया सकर्म का रखरखाव करने और मरम्मन करने के लिए उल्तरदाशी हरेक व्यक्ति अपनी मेमि पर स्थित और फिसी अन्य भूमि पर स्थित सकर्म का जिमकी बाधन उग उक्त वित्रर्णा में उतरदायी दर्णाया गया है, रख-रखाव और मरम्मन भूमि मरक्षण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में और उत्तरे समय के भीतर करेगा जितना उक्त अधिकारी द्वारा निगन किया जाए।

(2) यदि गेम। व्यक्ति भूमि सरक्षण अधिकारी ढारा उपधारा (1) के अधीन नियन की गई अवधि के भीतर मंकर्म का रखरखाव था मरम्मन करने में अनफल रहना है तो भूमि सरक्षण अधिकारी सकर्म का रखरखाव या मरम्मन स्वय कर एग और ऐसा करने का खर्च उस व्यक्ति में बमूल किशा जारगा।

(3) यदि भूमि सरक्षण अधिकारी की यह राय है कि गिमा आप न उत्पन्न हो गया है और उपधारा (1) मे निर्दिष्ट किसी सकर्प की नुरन्त मरम्मन तन पाधारण के हित में आवण्यक है ना वह ोसी मरम्मन कर एग और रेनी मरम्मत का खर्च उस भूमि के, जिस पर मरम्मन क केर्य किया गया है. रवभी रारा संदन्त किया जागा। (।) भुरि संस्थाण अभिकरी, जितनः जीहासभाव हो। ऐसी मरम्मत के तरे मे प्रणःसक को रिपोर्ट करेगा।

38714--5

प्रकीर्ण

15. ग्रम का सबय और वपूली - - ग्रारा 11 12 आर 14 के अश्रोन देप कोई रक्म न किरन जिपका सदाय उप नाराख स नहीं किया जाता है जिम त रोख का वह इस अधिनियम के अशेन देय हा जाती है, उभ भूनि के, जिसके फायद के लिर इस अशितियन के अशेन स्क्रीम मजर की गई है या जिस पर कोई मरुभ य माम्मन कार्यान्वित की जाती है देव न-राजस्व के बकाया क रूप म समझी जारगी तथा गोग वका जा के रूप में उन पद्धनियों में ग किमी के द्वारा वसूलीय होगी जो इस अशिनियम में उग्राधन हा

16 प्रवेण का अधिकार --- किमी स्कीम को नैयार करने, मज़र क'ने ' निष्पादित करने के पयोजन के लिए, या किमो स्कीम के अधीन किसी सकर्म की मरम्मन था रखरखाब के लिए बोर्ड कलल्टर या भूमि मरक्षण अधिकारी द्वारा पाधि इन कार्ट जॉका स्वार्मा, कब्जाध रो या भूमि में हितबढ़ किमों अन्य व्यक्त का ऐसा सूचना देने क पण्च न जैमो विहिन की जा, प्रोण कर सर्वगा, उसका मर्वेक्षण कर राहेगा और उसहा चिल्लाकित कर सहेगा, तथा ऐसे प्रयाजन के लिए सब जल्याक कार्य कर सकेगा।

17 जाच लक्षिणा में होन. ---(1) उस अधिनियम के अधीत जाच कग्ने के गि. सशाव। बोर्ड से भिन्न का प्राकिश्री उस अधिनि एप के अभीन जाच उप राति से करेगा जो सक्षिप्त जाच करने के । तर उपबंधित है और ऐसे अधिनियम में सक्षिप्त जाव करने से सबंधित उपबंध बहा तक लज्मू होगे जहा तर बे लज्मू हो सकते है।

(2) ऐसे अधिक रो को तथा वोर्ड का किसी व्यक्ति को समन करने और तजिर का ने तथा जयथ पर उसकी परीक्षा करने जोर दरावेज पेण करान की बचत वही गक्तिय। होगी जो विलियम के अधोन राजस्व अधिकारियो मे निहिन है।

18 रवा सियो का उन के द्वारा किए गए सुधारो की बाबत भाटक में वृद्धि कारने की अनुज्ञा ---- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्ध तिधि में फिसी बात के डोने हुए भी, किसी स्फीम में समिपलिन को गई किसी भूमि के स्प्रामी के लिए यह विधिपूर्ण हाण कि वह उस भीम के अभिधारी द्वारा देय भाटक में ऐसी रक्तम की, और ऐसी जनी के अधीन जो विहित की जनए वृद्धि कर रो।

19 1908 को ७ भनि मुधारा स्कीम संसंबधित दस्तालेज ग्नान ४। नक्ष्णेका रजिस्ट्रीकरण अपेश्रित नहोता ---

(1) म, तो रेजेस्ट्रीकरण अधिनिथम 1908 (1908 का 6) की क्षिमांबन में यह नहीं मंगझा जाएगा कि बंह

[PAR'I II-SEC. 3(1)]

किसी ऐसी स्कीम के संबंध में, जो प्रवृश्त हो गई है, तैयार किए गए, बनाए गए या मंजूर किए गए किसी दस्तावेज, प्लान या नक्षों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करती है।

(2) ऐसे सब दस्तावेज, प्लान और नक्ष्रो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए उस अधितियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत समझे जाएंगे ।

परन्तु मंजूर की गई स्कीम से संबंधित दस्तावेजों, ग्लानों और नक्शों तक जनमाधारण की विहिंत रीति में, पहुंच होगी ।

20. प्रांतीय मरकार द्वारा णवितयों का प्रत्यायोजन:--(1948 के मुम्बई अधिनियम सं० 29 की धारा 2 के साथ पठित 1945 के मुम्बई अधिनियम सं० 7 की धारा 16 द्वारा निरसित)

21. प्रत्यायोजनः- - प्रणासक और प्रशासक के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कलकटर या भूमि संरक्षण अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई किस्हीं शक्तियों या क्वत्यों को किसी अधिकारी को कनिपय अधिकारियों का लोकमेवक होना प्रत्यायोजित कर सकता है।

22. धारा 4 की उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 16, धारा 21 या धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, बोर्ड के सदस्य और सचिव, जांच अधिकारी और वोर्ड द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या व्यक्ति , कलक्टर, भूमि संरक्षण अधिकारी या प्रशासक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 55) के अर्थ में लोक मेवक ममझा जाएगा।

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाईयों के लिए व्यक्तियों का संरक्षण और वादों तथा अधियोजनों के लिए परिसीमा-काल--(1) किसी लोक सेवक या इस अधिनियम के अधीन सम्पूक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधि-नियम के अधीन की गई या की गई समझी गई किसी बात के लिए तब तक कोई बाद या अभियोजन संस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा वाद या अभियोजन उस कार्य को जिसका परिवाद किया गया है, करने की तारीख मे छह माम के भीतर संस्थापित नहीं कर दिया जाता।

(2) किसी लोक सेवक या इस अधिनियम के अधीन सम्युक रूप मे प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधि-नियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन मद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात की दावत कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही मंस्थित नहीं की जाएगी।

24. नियम बनाने की शक्ति:---(1) प्रशासक, राजपत्न में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकता है। (2) विणिष्टतया और पूर्वगामी जस्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों को अवधारित करने के लिए बनाए जा सकते है, अर्थात्:---

- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (IX) और उपधारा (2) के खण्ड (5) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय :
- (2) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अघीन विहित किए जाने वासे विषय ;
- (3) धारा 13 की उपधारा (1) और (2) के अधीन विहित की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;
- (3क) वह रीति जिसमें धारा 13 और 13क के अधीन तैयार की गई विवरणियों में दर्शाए जाने वाले अधिकार या दायित्व स्वामित्व अभिलेख तथा ग्राम लेखा में प्रविध्ट किए जाएंगे ;
- (4) धारा 16 के अधीन सूचना देने की रीति ;
- (5) वह रीति जिसमें दस्तावेज, प्लान और नक्शे धारा 19 के अधीन जनसाधारण को पहुंच में होंगे;

(3) इ.स. धारा के अधीन बनाए गए नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

25. कतिपय परिस्थितियों में स्कीम तैयार करने का निदेश देने की प्रशासक की शक्तियां---(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक निम्नलिखित दशाओं में किसी क्षेत्र में धारा 4 की उपधारा (1) में विनिदिष्ट विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने के लिए स्कीम तैयार करने का निदेश दे सकता है, अर्थात्:---

- (1) जहां केन्द्रीय सरकार या कोई न्याभ स्कीम के खर्चे का 25 प्रतिणत में अन्यून अभिदाय करती या करता है;
- (2) यदि कोई व्यक्ति यः प्राधिकारी स्कीम पर प्राक्कलित खर्चे का 25 प्रतिगत से अत्पूत का अभिदाय करने की बांछा करता है;
- (3) * * *
- (4) यदि प्रशासक की राय में किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के हित में, जो संघ के सशस्त्र वलों के सबस्य हैं या जो ऐसे सदस्य मे और सेवानिवृत्त हो गए हैं या, ऐसे व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के हिन में भूमि सुधार आवश्यक है;
- (5) यदि प्रशासक की राय में स्कीम जन्म खारण के हित में आवण्यक है।

(2) प्रशासक, ऐसे निदेश के साय-साथ या उस परवास् किसी समय, बोर्ड को, धारा 4 की उपधारा (2) में विनिविष्ट विशिष्टियों से युक्त स्कीम का प्रारूप ऐसे

[भाग II-- जंड 3(i)]

अनुदेशों के अनुसार तैयार करने के लिए जो बोर्ड जारी करें अधिकारी नियुक्त करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत कर सकता है।इन प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी नदनुमार स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा और उमें अनुमोदन के लिन बोर्ड के समक्ष करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुमोदन के लिए वोर्ड के समक्ष स्कीम प्रस्तुत फिए जाते के पृख्वान धारा 5 और उस धारा की अनुवर्ती धाराए तथा धारा 24 के अधीन बनाए गए नियमो के उपबंध, वहा तक जहां तक कि वे लागू हो सकते है, ऐसी स्कीम के संग्रंध में लाग होंगे।

(4) उपधारा (3) में किसी वात के होते हुए भी, उस भूमि का स्वामी जिसमें इस धारा के अधीन किंगी स्कीभ के प्रयोजनों के लिए कोई संकर्ग कार्यान्वित किया गया है, धारा 13 या धारा 13क के अधीन विवरणो तैय र किए जाने पर्यन्त, उम संकर्म को भूमि मंरझण अधिहारी के ममाधानप्रद रूप से बनाए रखने के लिए उत्नरदायी होगा और उसके समाधानप्रद रूप से उनकी मरम्मत उतने समय के भीतर करेगा जो भूमि मंरक्षण अधिहारी बारा नियम की जाए। धारा 14 की उपदारा (2) के उत्तबर इम उपधारा के अधोन म्यामो के दायिन्व के संवध में लाग होंगे।

25.क. अकाल क्षेत्र या दूमिक्ष क्षेत्र घांपित किए गए किमी क्षेत्र में स्कीम तैयार करने और निष्पादिन करने का निदेश देने को प्रशासक को शक्ति --- (1) इस अधिनियम में हिमी वान के होते हुए भी , यदि प्रणासक की पह रात है कि जन-साधारण के हित में कोई स्कीम आवश्यक है या अज्ञाल या द्रींभक्ष की स्थिति किसो जेल में विद्यमान है या हो नकती है था यह आवण्यक है कि किनी क्षेत्र में ग्रामोण बेरोजगार को दूर करने के लिए उनगक्त कार्य उपतब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है तो वह इस अज्ञय को घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की जाएगो। ऐसो घोषणा के प्रकाशित होने पर प्रशासक किमी अधि तरी को एँसे गामो में, जो विनिध्दिष्ट किंग जाए, नुरन्त नटन घों का निर्माण कराने के प्रयोजन के लिए कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का निदेश दे सकता है। ऐसे निदेश में बोई से उन विषयों के लिए उपबंध करने के लिए स्क्रीम तैयार करनेकी अपेक्षाभीकी जन्एगी जो धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) में विनिदिष्ट है या उपधारा उस धारा की उपधारा (2) में विनिदिष्ट है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी हिए जाने पर बोर्ड कार्यपालक अधिकारी को एक स्कोम का प्रारूप नैपार करने के लिए कहेगा जिसमे वे सब सक्तमं सम्मिन्ति होंगे जो उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा ग्रहण किए जाएगे और ऐसे अन,देशों के अनुसार, जैसे कि बोर्ड जारी करे, अन्य सक्तमं भी होंगे। स्कीम में वह सब विशिष्टिया होंगो जो धारा 4 की उपधारा (3) में विनिदिष्ट हैं। ऐसा कार्यपालक अधिकारी तदनुसार स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखेगा। 1071 GT/83~2 (3) बोर्ड के समर रवो गई फीम का प्राख्य उसके द्वारा बिन' किसी उपांतण के या ऐने उनां रणां हिन निमे उगवारा (1) के अधो। कार्गनालक अग्रिक री द्वारा कर्या-न्वित किए गए शकम पर प्रम व नहीं डाले, बोर्ड दारा अतु-मोंदेत किए गए शकम पर प्रम व नहीं डाले, बोर्ड दारा अतु-मोंदेत किए जा सकना है। बोर्ड द्वारा इम प्रकार अतुमोदित की गई स्कीभ राजपत्र में और उस प्राय में जिपमें स्कोम में सम्मित्त को गई भूमिगां स्थिन हैं, प्रक णित की जाएगी। स्कीम उस तारोख की प्रवृत्त होगो जिस तारीख को बह प्राम में प्रकाणित को जाते है और वड इस प्रकर से प्रभावी होगी मानो वह इस अग्रित्म के आतेन अधितिग्रित को गई है। धार 10क और उसको अनुगानी धाराओं तथा धारा 24 के अग्रेन बताए गए नियमों के उपबंध, वहां तक जहा तक वे लागू किए जा सकते हैं, ऐसी स्कोम के सत्रंध में उसी प्रकार लागू हों मानो वह ऐसी स्कीम है जो धारा 10 के अधीन प्रवृत्त हुई है।

(4) उपध रा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उस भूमि का स्वामी जिस पर इस धारा के अधोन किमी रुकाम के प्रयोजनां के रिए कोई सकर्म कार्या देवन किया गया है, धारा 13 या धारा 13क के अधीन विगरणी नैयार किए जाने पर्यन्त, उस सकर्म को भूमि संरजण अधिकारी के समा-धा प्रद रुप से बनाए गए रबने के लिए उत्तरदायी होगा और उसको मरम्तन उ कि समाधानप्रद रूप मे उतनी अवधि के मीतर करेगा जो भूमि स'खण अधिक रो ढारा निगत की जाए तथा धारा 14 को उपधारा (2) के उगवध इस धारा के अधीन ज्वामी के दायित्व को वाबत ल.गू होंगे।

25 ख. स्कोभ प्रतिनहूत हरने को गक्तिः → - ाद बोर्ड द्वारा किए गए किमी अजेवन गर प्रगासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवध्यक है नो वह किसो भी समय, राजपत में अधि रूलना डारा, किसी स्कीम को उसके प्रधृत्त हो जाने के पश्वात् प्रतिसहत कर सकता है और इस प्रकार प्रतिसहत किए जाने पर इस अधिनियम के उपबध धारा 15 के सिवाय , ऐसी स्कीम को ल गू नहीं रहेगी। ऐसी अधिसूचना उस ग्राम में और उम जिले के मुख्यालय में भो प्रकाशित की जाएगो जिनमें ऐसी स्कीम में मम्मिलित को गई भूमि स्थित है।

[स॰ यू 11015/5/83/यू॰टी॰एल॰ (154)]

आर० वो० पिल्ले, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1983

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961). the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli. the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 (Bombay Act No. 28 of 1942) as

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

in force in the State of Gujarat on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :---

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act,-

- (a) Unless otherwise directed, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words "State Government" occur, such consequential changes as the rules of grammer may require;
- (b) for the words "Divisional Soil Conservation Officer", wherever they occur, the words "Soil Conservation Officer", shall be substituted;
- (c) for the words "District Agricultural Officer", wherever they occur, the words "Agricultural Officer", shall be substituted;
- (d) for the word "acre" wherever it occurs, the word "hectare" shall be substituted;
- (e) The following words, wherever they occur shall be omitted :---
 - (i) "The Company";
 - (ii) "or, the Company";
- (iii) "or, the Company Officer";
- (iv) "or, as the case may be, the Company";
- (v) "or. as the case may be, the Company Officer"; and
- (vi) "or, as the case may be, to the Company".
- 2. In section 1 -
 - (i) In sub-section (2), for the words "State of Gujarat", the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;
 - (ii) proviso to sub-section (3) shall be omitted.
- 3. In section 2,-
 - (i) for clauses (1) and (1A) the following shall be substituted, namely :---
 - (1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President, under article 239 of the Constitution;"
 - (1A) "Board" means a Board constituted under section 3;
 - '(1A) "Collector" means the Collector of Dadra and Nagar Havefi;'
 - (ii) clauses (1B) and (1C) shall be omitted;
 - (iii) For clause (2C), the following shall be substituted, namely :---
 - "(2C) "Executing Officer" means an Officer appointed by the Board under sub-sec-

tion (1) of section 11 and shall be construed according as the schemes are executed at the expense of the Central Government';

- (iv) for clause (5A), the following shall be substituted, namely :---
 - '(5A) "Regulation" means the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971';
- (v) clauses (5B), (7A) and (7B) shall be omitted;
- (vi) for clause (8), the following shall be substituted, namely :---
 - "(8) the words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meanings assigned to them in the Regulation.".

4. In section 3, in sub-section (1), the words "in each district" shall be omitted,

- 5. In section 5,-
 - (i) in sub-section (1), the words "or the officer appointed by the Company" shall be omitted;
 - (ii) in sub-section (2), the words "of the taluka, tehsil or mahal and" shall be omitted.
- 6. In section 9,-
 - (i) in proviso to sub-section (1), for the word 'Government' wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (2), the words "taluka, tehsil or mahal and of the" shall be omitted.

7. In section 11, in sub-section (2), (3) and (6), for the word "Government" wherever it occurs, the words "Central Government" shall be substituted.

- 8. In section 12, in sub-section (1),--
 - (i) for the word 'Government', wherever it occurs, the words 'Central Government', shall be substituted;
 - (ii) for the words 'State Government' occurring for the second time, the word "Central Government, shall be substituted; and
 - (iii) second proviso shall be omitted.

9. In section 13, in sub-section (1), for the words "The Bombay Land Improvement Schemes (Extension and Amendment) Act, 1958" the words "this Act' shall be substituted.

10. In section 15, for the word 'Code', the word 'Regulation' shall be substituted.

- 11. Section 15A shall be omitted.
- 12. In section 17,---
 - (i) in sub-section (1), for the words "the Code the words "The Regulation" shall be substituted; and

[PART 11_SEC. 3(i)]

(ii) in sub-section (2), for the words "The relevant Land Revenue Act", the words "the Regulation" shall be substituted.

13. In section 21, the words "it or" wherever they occur shall be omitted.

14. In section 25, in sub-section (1), in clause (i), for the words "State Government" the words "Central Government" shall be substituted.

15. In section 25B, the words "taluka, tehsil or mahal, and of the" shall be omitted.

16. Sections 26 and 26A shall be omitted.

17. Sections 27, 28, 28A and 29 shall be omitted.

ANNEXURE

Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942 (Bombay Act No. 28 of 1942) as in force in the State of Gujarat as extended to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

An act to provide for the making and execution of schemes relating to the construction of tanks, embankments and other works, the prohibition and control of grazing for the purposes of preservation of soil, prevention of soil erosion, improvement of water supply and other matters in order thereby to protect and improve lands and crops in the Province of Bombay and for charging certain expenditure on the revenues of the Province.

Whereas it is expedient to provide for the making and execution of schemes relating to the construction of tanks, embankments, and other works, the prohibition and control of grazing for the purposes of preservation of soil, prevention of soil erosion, improvement of water supply and other matters in order thereby to protect and improve lands and crops in the Province of Bombay and for charging certain expenditure on the revenues of the Province :

And whereas the Governor of Bombay has assumed to himself under the Proclamation dated the 4th November 1939 issued by him under section 93 of the Government of India Act, 1935, all powers vested by or under the said Act in the Provincial Legislature ;

Now, therefore, in exercise of the said powers, the Governor of Bombay is pleased to make the following Act :---

CHAPTER 1

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.--(1) This Act may be called the Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942.

(2) It shall extend to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli,

(3) It shall come into force in such area and on such date as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, direct. 2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

- (1) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution.
- (1A) "Board" means a Board constituted under section 3 ;
- (1AA) "Collector" means the collector of Dadra and Nagar Haveli ;
- (2) "Director of Agriculture" means the Officer appointed for the time being to be the Director of Agriculture and includes any officer appointed by the Administrator to perform the dutics of the Director of Agriculture under this Act ;
- (2A) "Soil Conservation Officer" means the officer appointed for the time being to be the Soil Conservation Officer and includes any other officer authorised by the Administrator to exercise the powers and per orm the dutics of a Soil Conservation Officer under this Act;
- (2B) "Agricultural Officer" means the officer appointed for the time being to be the Agricultural Officer ;
- (2C) "Executing Officer" means an officer appointed by the Board under sub-section (1) of section 11 and shall be construed according as the schemes are executed at the expense of the Central Government.
 - (3) "Inquiry Officer" means an officer appointed as such by the Board;
 - (4) 'Owner' includes an owner in severalty, in common or joint, an occupant, a tenure holder, pattadar, tenant, and a mortgagee in possession and the expressions 'owing' and 'own' shall be construed accordingly;
 - (5) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
 - (5A) "Regulation" means the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971.
 - (7) "Scheme" means a land improvement scheme prepared under this Act;
 - (8) the words and expressions used in this Act, but not defined, shall have the meaning assigned to them in Regulation.

CHAPTER II.

Constitution of Boards and Preparation of Land

IMPROVEMENT SCHEMES

3. Constitution of Boards.—(1) The Administrator shall constitute a Board consisting of the Collec-Officer and such non-official persons not exceeding two as may be appointed by the Administrator. tor, the Agricultural Officer, the Soil Conservation

(1A) The Soil Contervation Officer shall be the Secretary of the Board.

(2) If there is a difference of opinion among the members of the Board regarding an question under the provisions of this Act, the decision of the majority of the members shall pravail.

4. Power of Board to direct preparation of land improvement scheme and matters for which scheme may be prepared.—(1) The Board may direct the preparation of a land improvement scheme for any area within its jurisdiction. A scheme may make provision for any of the following matters, namely :—

- (i) preservation and improvement of soil ;
- (ii) prevention of erosion of soil ;
- (iii) improvement of water supply including the construction or improvement of wells and other underground water resources and exploitation of those resources;
- (iiia) development of land for better utilisation of the irrigation potential to be specified in the scheme ;
- (iv) introduction of dry farming methods;
- (v) improvement in the methods of cultivation:
- (vi) reclamation of water-logged land or of land from the sea ;
- (vii) prohibition or control of grazing ;
- (viii) control and maintenance of tree growth ;
- (viiia) regulation or prchibition of firing of vegetation
- (viub) cultivation of waste or fallow land ;
- (viiic) eradication of hariyali or any other kind of weed or vegetation which is likely injuriously to affect, or interfere with cultivation ;
- (ix) such other matters not inconsistent with the objects of this Act as may be prescribed.

(2) On such direction being issued by the Board, the Board shall appoint an officer to prepare, in accordance with such instructions as it may issue, a draft scheme containing the following particulars, namely :--

- (i) the object of the scheme ;
- (ii) the approximate area of the lands to be included in the scheme ;
- (iii) the work or kind of work to be carried out under the scheme ;
- (iv) the agence or agencies through which the work shall be carried out ;
- (v) such other particulars as may be prescribed.

5. (1) The draft scheme prepared under section 4 shall be submitted by the officer oppointed by the Board to the Board and the Board shall either approve the scheme with or without modifications or reject it and where the Board approves the scheme it shall appoint an Inquiry Officer.

(2) The scheme approved by the Board under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette and in the village and at the headquarters of the district in which the lands proposed to be included in the scheme are situate.

(3) The Board shall, simultaneously with the publication of the scheme in the village under sub-section (2) require all persons affected by the scheme who wish to make any objections to the scheme or part thereof to submit their objections in writing to the Inquiry Officer or appear before him, within seven days of such publication.

6. Report of Inquiry Officer.—(1) The Inquiry Officer shall hear such objections as are made to him in person, consider all objections duly submitted under section 5 and submit his report together with the objections to the Board.

(2) The Inquiry Officer may, while submitting his report under sub-section (1) recommend any modifications which in his opinion are required in any of the particulars contained in the scheme approved by the Board under sub-section (1) of section 5.

7. Decision of disputed claims, Rep. by Bom. 7 of 1945, s. 6, read with Bom. 29 of 1948, s. 2.

8. Report of Inquiry Officer, Rep. by Bom. 7 of 1945, s. 6. read with Bom. 29 of 1948, s. 2.

9. Power of Board to sanction scheme with or without modifications.—(1) After consideration of the objections and the report submitted under sub-section (1) of section 6 and of any further report which the Board may require the Inquiry Officer to submit to, the Board may sanction the scheme with or without modifications or reject it :

Provided that if not less than 49 per cent of the total number of the owners of the land included in the scheme other than the Central Government or owners, other than the Central Government owing in the aggregate not less than 49 per cent of the land included in the scheme have made objections to the scheme or part thereof, the Board shall submit the scheme to the Administrator for his orders. The Administrator may thereupon sanction the scheme with or without modifications or reject it.

(2) The scheme as sanctioned under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette, and in the village and at the headquarters of the district in which the lands included in the scheme are situate and shall on such publication be final.

10. Effect of Scheme.—On the date on which the scheme is published in the village under sub-section (2) of section 9, it shall come into force and shall have effect as if it were enacted in this Act.

10A. Power of Administrator or of Board to make regulations.—For the purpose of carrying out the objects of a scheme which has come into force under section 10:—

(a) the Administrator, or

(b) the Board in consultation with the Administrator may make regulations requiring any person or persons or the public generally to take certain action or to refrain from doing certain acts in respect of any matters supplementary and incidental to the scheme.

CHAPTER III

EXECUTION OF THE SCHEME

11. Power to enforce scheme.—(1) After a scheme has come into force under section 10, the Board shall appoint an officer to execute it.

(2) Every owner of land included in the scheme shall pay the costs or part costs, as the case may be of the works which under the scheme are carried out by the Central Government in his land at the cost or part cost of the owner.

(3) If any owner of the land included in the scheme desires to carry out himself any works which under the scheme are to be carried out in his land by the Central Government at the cost or part cost of the owner, he shall give notice in writing to that effect to the Executing Officer within seven days of the publication of the scheme in the village under section 9.

(4) On receipt of such notice, the Executing Officer shall inform the owner of the works which are to be carried out in his land, and shall fix the date before which the owner shall carry out the works.

(5) If such owner fails to carry out any work to the satisfaction of the Executing Officer before the date fixed by him or at any time expresses in writing to the Executing Officer his inability to do so, the Executing Officer may himself get the work carried out and the expenses incurred by the Executing Officer for the purpose shall be recovered from the owner.

6. Where the owner of any land including in the scheme is the Central Government, the Department of Central Government which has the control or management of such land, or the Executing Officer directed in this behalf by the Board, the Administrator, as the case may be shall carry out the works which the Central Government is liable to carry out under the Scheme.

12.Liability of persons whose lands are not included in scheme to contribution.—(1) If. in consequence of any work carried out under the Scheme any person, including the Central Government other than the owner of the land in which the work is done, is likely to be benefited, he shall pay such amount as the Administrator may determine as contribution to the owner of the land, if the work has been carried out by the owner, or to the Central Government if the work has been carried out by the Executing Officer :

Provided that the Administrator may excuse payment of such contribution in whole or in part in respect of any work carried out by it in land belonging to the Central Government.

(2) The amount shall be paid within such time as may be specified by the Administrator.

12A. Penalty.—Any person who contravenes or causes any contravention of any of the provisions of a Scheme which has come into force under section 10, or any of the regulations made under section 10A, or does any act which causes damage to any of the works carried out under the Scheme, or fails to fulfil any liability imposed upon him under section 13 or 13A or sub-section (4) of section 25 or of section 25A shall on conviction, be punishable with fine which may extend to fifty rupees or with simple imprisonment for a period which may extend to one month, or with both.

CHAPTER IV

Maintenance, repairs and use of works carried out under the Scheme

13. Statement.—(1) In the case of any work under a scheme, wholly carried out before the commencement of this Act, the Executing Officer shall prepare a statement giving for any specified area the following particulars :—

(a) (i) the work done;

- (ii) the cost thereof;
- (iii) the total amount to be recovered from the owners;
- (iv) the general rate per hectare or per rupec of assessment per annum at which such amount is to be recovered from the owners;
- (v) the period within such amount is to be recovered;
- (vi) the work which in his opinion, shall be maintained and repaired individually or jointly and the names of such person or persons;
- (b) it in the case of any survey number or subdivision of a survey number the owner is not liable to maintain or repair works therein, or if the cost is to be recovered from an owner at a rate other than the general rate, a list of such survey numbers or subdivisions and the rate at which the cost is to be recovered from the owner of such survey numbers or sub-divisions;
- (c) a map showing the work carried out in the village;
- (d) such other matters as may be prescribed.

(2) When the statement is prepared under this section any rights and liabilities shown therein shall be entered in the Record of Rights or where there is no Record of Rights, in the prescribed village record and in the village accounts in such manner as the Administrator may prescribe and shall thereupon form part of such Record of Rights or as the case may be, of such village record and of the village accounts.

13-A. Executing Officer to prepare recovery statements and entries to be made in Record of Rights, etc.—(1) Save as otherwise provided in section 13, the Executing Officer shall, on the completion of part of any work to be carried out, under a scheme prepare an interim statement specifying therein—

(i) the part of the work carried out;

- (ii) the cost of such part calculated on the basis of the works cost as recorded in the works register maintained by the Executing Officer;
- (iii) the interim amount to be recovered from the owner in respect of the work so carried out;
- (iv) the period within which such amount is to be recovered;
- (v) the general rate per hectare or per rupee of assessment, per aunum at which such amount is to be recovered from the owners;
- (vi) if in the case of any survey numbers or sub-divisions of survey numbers the amount to be recovered under clause (iii) is to be recovered at a rate other than the general rate, such rate;
- (vi) the names of the persons from whom such amount is recoverable,
- (viii) such other particulars as may be prescribed.

(2) After the whole of the work under such scheme is carried out the Executing Officer shall prepare—

- (a) the final statement specifying therein-
 - (i) the work carried out;
 - (ii) the total cost of the whole work:
 - (iii) the balance after deducting from the total cost the interim amount set out in the interim statement including the rate of interest and the amount to be recovered at such rate and any incidental thereto.
- (iv) in relation to such balance, the balance amount to be recovered from the owners us cost or part cost;
 - (v) the period within which such amount is to be recovered;
 - (vi) the names of persons from whom such amount is recoverable;
 - (vii) the general rate per hectare or per rupec of assessment, per annum at which the amount specified under clause (iv) should be recovered:
 - (viii) if in the case of any survey number or sub-division of a survey number the amount recoverable from the owner there of is to be recovered at a rate other than the general rate, such rate and a list of all such survey numbers or sub-divisions:
 - (ix) the work which, in his opinion, shall be maintained and repaired individually or jointly and the names of such persons;
 - (x) such other particulars as may be prescribed;
 - (b) a map showing the work carried out in the village.

(3) The rights and liabilities shown in the interim statement and the final statement shall be entered in the Record of Rights or where there is no Record of Rights in the prescribed village record and in the village accounts in such manner as the Administrator may prescribe and shall thereupon form part of such record of rights or as the case may be, the village record and of the village accounts.

14. Obligation of persons to maintain and repair works.--(1) Every person shown in the statement prepared under section 13 or 13-A as liable to maintain and repair work shall, to the satisfaction of the Soil Conservation Officer and within such time as the said officer may fix, maintain and repair the work in his own land and in any other land in respect of which he is shown as liable in the said statement.

(2) If such person fails to maintain or repair the work within the time fixed by the Soil Conservation Officer under sub-section (1), the Soil Conservation Officer shall himself get the work maintained or repaired and the cost of so doing shall be recovered from the person.

(3) If the Soil Conservation Officer is of opinion that an emergency has arisen and that the immediate repair of any work referred to in sub section (1) is necessary in the general interest, he shall carry out such repair and the cost of such repair shall be paid by the owner of the land on which the repair has been carried out.

(4) The Soil Conservation Officer shall, as soon as practicable make report to the Administrator regarding such repair.

CHAPTER V

Miscellaneous

15. Payment and recovery of amount.—Any amount or instalment thereof payable under sections 11, 12, or 14 which is not paid on the date when it becomes due under this Act shall be deemed to be an arrear of land revenue due on account of the land for the benefit of which the Scheme has been sanctioned under this Act or the work is or repairs are carried out and shall be recoverable as such arrear by any of the methods provided in the Regulation.

16. Right of entry.—For the purpose of preparing, sanctioning or executing any scheme for repairing or maintaining any works under any scheme, any person authority other than a Board empowered under this Conservation Officer may, after giving such notice as may be prescribed to the owner, occupier or other person interested in any land, enter upon, survey and mark out such land, and do all acts necessary for such purpose.

17. Inquiries to be held summarily.—(1) Any authority other than a Board empowered under this Act to make an inquiry shall make the inquiry in the manner provided for holding a summary inquiry under the Regulation and all the provisions contained in such Act relating to the holding of a summary inquiry shall, so far as may be, apply.

(2) Such authority as well as a Board shall have the same powers for summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath and compelling the production of documents as are vested in the revenue officers under the Regulation.

[भाग II--जंड 3(1)]

18. Permission to owners to increase rent on account of improvements effected.—No.withstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the owner of any land included in a scheme to enhance the fent payable by a tenant of the land by such amount and subject to such conditions as may be prescribed.

19. Registration of document plan or map in connection with land improvement scheme not required.— (1) Nothing in the Indian Registration Act, 1908, XVI of 1908 shall be deemed to require the registration of any document, plan or map prepared, made or sanctioned in connection with a scheme which has come into force.

(2) All such documents, plans and maps shall, for the purpose of sections 48 and 49 of the Indian Registration Act, 1908. XVI of 1908 be deemed to be registered in accordance with the provisions of that Act :

Provided that documents, plans and maps relating to the sanctioned scheme shall be accessible to the public in the manner prescribed.

20. Delegation of powers by Provincial Government. Rep. by Bom. 7 of 1945 s, 16, read with Bom. 29 of 1948 s. 2.

21. Delegation.—The Administrator and subject to the control of the Administrator, the Collector or the Soil Conservation Officer may delegate to any officer any of the powers conferred on him or any of the functions to be performed by him by or under this Act.

22. Certain officers to be public servants.—The members and Secretary of a Board, the Inquiry Officer and any officer or person authorised or appointed by the Board, the Collector, the Soil Conservation Officer or the Administrator under sub-section (2) of section 4, sub-section (1) of section 11, section 16, section 21 or sub-section (2) of section 25, as the case may be, shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code, XLV of 1860.

23. Protestation of persons acting in good faith and limitation of suits and prosecutions.—(1) No suit, presecution or other legal proceedings shall be instituted against any public servant or person duly authorised under this Act in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit or prosecution shall be instituted against any public servant or person duly authorised under this Act in respect of anything done or intended to be done under this Act, unless the suit or presecution has been instituted within six months from the date of the act complained of.

24. Power to make rules.—(1) The Administrator may, by notification published in the Official Gazet'e, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act, (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may be made to determine the following matters, namely:-

- (i) the matters to be prescribed under clause (ix) of sub-section (1) and clause (v) of subs_ction (2) of section 4;
- (ii) the matters to be prescribed under section(d) of sub-section (1) of section 13;
- (iii) other particulars to be prescribed under sub-sections (1) and (2) of section 13-A;
- (iiia) the manner in which the rights and liabilities shown in the statements prepared under sections 13 and 13-A shall be entered in the Record of Rights or villages record and in the village accounts;
- (iv) the manner of giving notice under section 16;
- (v) the manner in which documents, plans and maps shall be made accessible to the public under section 19;

(3) The rules made under the section shall be subject to the condition of previous publication.

25. Powers of Administrator to direct preparation of scheme in certain circumstances.—(1)Notwithstanding anything contained in this Act, the Administrator may direct the preparation of scheme providing for any of the matters specified in subsection (1) of section 4 in any area in the following cases, namely :—

- (i) where the Central Government, or any trust contributes not less than 25 per cent of the cost of the scheme;
- (ii) if any person or authority is willing to contribute not less than 25 per cent of the scheme;
- (iii) x x x x x x
- (iv) if in the opinion of the Administrator land improvement is necessary in the interest of any persons who are members of the armed forces of the Union or who were such members and have retired or the dependents of such persons; or
- (v) if in the opinion of the Administrator the scheme is necessary in the interest of the public.

(2) Along with such direction or any time thereafter, the Administrator may authorise the Board to appoint an officer to prepare, in accordance with such instructions as the Board may issue, a draft scheme containing the particulars specified in subsection (2) of section 4. The officer so appointed shall prepare a draft scheme accordingly and submit it to the Board for approval.

(3) After the scheme is submitted to the Board for approval under sub-section(2), the provisions of section 5 and the sections following the said section and the rates made under section 24 shall, so far as they can be made applicable. apply in respect of such scheme.

Ĩ

[PART 11-SEC. 3(i)]

(4) Notwithstanding anything contained in subsection (3), the owner of the land in which any work has been carried out for the purposes of a scheme under this section be liable, pending the preparation of the statement under section 13 or 13-A to maintain the work to the satisfaction of the Soil Conservation Officer and repair it to his satisfaction within such time as he may fix.

The provisions of sub-section (2) of section 14 shall apply in respect of the owner's liability under this sub-section.

25A. Power of Administrator to direct preparation and execution of scheme in area declared to be famine or scarcity area.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Administrator is of opinion that a scheme is necessary in the interest of the public or that a state of famine or scarcity prevails or is likely to prevail in any area or that it is necessary to provide suitable work to relieve rural unemployment in any area it may make a declaration to that effect. Such declaration shall be published in the Official Gazette. On the publication of such declaration, the Administrator may direct the Collector to appoint an officer as the Executing Officer for the purpose of immediately constructing embankments in such villages as may be specified. Such direction shall also require the Board to prepare a scheme providing for matters specified in clauses (i) and (ii) of sub-section (i) of section 4 or any other matters specified in sub-section (1) of that section in such villages.

(2) On the issue of a direction under sub-section (1), the Board shall ask the Executing Officer to prepare a draf scheme, including therein all the works undertaken by him under sub-section (1), and other works in accordance with such instructions as the Board may issue, containing the particulars specified in sub-section (2) of section 4. Such Executing Officer shall prepare a draft scheme accordingly and submit it to the Board for its approval.

(3) The draft scheme submitted to the Board may be approved by it without modification or with such modification as shall not affect the work carried out by the Executing Officer under sub-section (1). The scheme so approved by the Board shall be published in the Official Gazette and in the village in which the lands included in the scheme are situate. On the date on which the scheme is published in the village it shall come into force and shall have effect as if it were enacted in this Act. The provisions of section 10A and the sections following the said section and the rules made under section 24 shall, so far as they can be made applicable, apply in respect of such scheme as if it were a scheme which has come into force under section 10.

(4) Notwithstanding anything contained in subsection (3) the owner of the land in which any work has been carried out for the purposes of a scheme under this section shall be liable, pending the preparation of the statement under section 13 or 13-A to maintain the work to the satisfaction of the Soil Conservation Officer and repair it to his satisfaction within such time as he may fix and the provisions of sub-section (2) of section 14 shall apply in respect of the owners' liablility under this section.

25B. Power to revoke scheme.—If upon an application made by the Board the Administrator is satisfied that it is necessary so to do the Administrator may, at any time, by notification in the Official Gazette, revoke any scheme after it has come into force and upon such revocation the provisions of this Act, except section 15, shall cease to apply to such scheme. Such notification shall also be published in the village and at the headquarters of the district in which the lands including in such scheme are situate.

> [No. U-11015|5|83-UTL (154)] R. V. PII.LAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRING, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983